

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान
बागपत - 250609 (उत्तर प्रदेश)



Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Department of Animal Husbandry and Dairying
C.C.S. National Institute of Animal Health
Baghpat-250609, Uttar Pradesh

Central Drug Laboratory (Veterinary Biologicals)
Approved by Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
E-mail: ccs.niah@gov.in; Website: http://www.ccsniah.gov.in
An ISO 9001:2015 certified organization

फाइल नं०- 6/8/2020-21/सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एच
दिनांक: 15.08.2021

विषय: अपील पंजीकरण सं० NIAHB/A/E/21/00005 दिनांक 20.07.2021 व आर. टी. आई.
अनुरोध पंजीकरण सं० NIAHB/R/E/21/00010 दिनांक 10.06.2021 के संबंध में।

कृपया अपनी अपील पंजीकरण सं० NIAHB/A/E/21/00005 दिनांक 20.07.2021 का संदर्भ
ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त अपील के माध्यम से आपने आर.टी.आई. अनुरोध पंजीकरण संख्या
NIAHB/R/E/21/00010 दिनांक 10.06.2021 के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन
किया है। तथ्यों की जाँच कर यह पाया गया कि सन्दर्भित आर.टी.आई. अनुरोध विवरण के साथ आपने
सूचनायें संलग्नक के अनुसार मांगी थी, परन्तु आर.टी.आई. अनुरोध विवरण के साथ कोई संलग्नक नहीं
पाया गया, जिसकी सूचना आपको जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2021 को दे दी गयी थी।

2. दिनांक 10.06.2021 को आपके द्वारा 03 आर.टी.आई. (NIAHB/R/E/21/00008,
NIAHB/R/E/21/00009 व NIAHB/R/E/21/00010) प्राप्त हुई थी। जिसमें आर.टी.आई.
NIAHB/R/E/21/00008 व NIAHB/R/E/21/00010 के साथ कोई संलग्नक नहीं पाया गया।
अतः आपके अपील आवेदन को आर.टी.आई. अनुरोध पंजीकरण संख्या NIAHB/R/E/21/00009 के
संदर्भ में मानते हुए निम्न सूचनायें दी जाती हैं:

3. बिन्दु संख्या 01 से सम्बन्धित सूचना आप पूर्व में समरूप आर.टी.आई. के माध्यमों से कई बार
मांग चुके हैं। जिससे संबंधित सूचना आपको दी जा चुकी है तथा पुनः एक बार दी जाती है।
फोन नं. 0121-4103313

4. बिन्दु संख्या 02, 04 व 05 पर मांगी गयी सूचनायें संस्थान में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आपको दे दी गयी है। मांगी गयी सूचनायें इसी रूप में उपलब्ध हैं।
आर.टी.आई. नियमानुसार आपको सूचना दे दी गयी है।

5. बिन्दु संख्या 03 व 06 पर मांगी गयी सूचनायें आर.टी.आई. अधिनियम-2005 के तहत सैक्सन
6(3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय कल्याण निगम लिमिटेड को स्थानांतरित कर दी गयी है।
आर.टी.आई. नियमानुसार आपको सूचना दे दी गयी है।

6. यदि आप उक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्था के तहत द्वितीय अपील माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय


15-8-21
(प्रवीण मलिक)

प्रथम अपील अधिकारी व निदेशक (कार्यवाहक)
चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान
बागपत- 250609 (उत्तर प्रदेश)

सेवा में

